प्रेस विज्ञप्ति

**24/11/2025**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर आंचलिक कार्यालय ने माननीय विशेष न्यायालय पीएमएलए मोहाली के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 21.11.2025 को अभियोजन शिकायत दर्ज की है, जो संजीव कुमार, पूर्व उप-डाकपाल, डाकघर, जालंधर और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से संबंधित धन शोधन की जांच के संबंध में है।

ईडी ने संजीव कुमार और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जाँच में पता चला कि संजीव कुमार ने कथित तौर पर 54 फर्जी बचत खाते खोले और सरकारी खजाने को 3.40 करोड़ रुपये का नुकसान पहुँचाया, 41 बचत खातों में हेरफेर करके 2.79 करोड़ रुपये का नुकसान पहुँचाया, 51 आरडी खातों में हेरफेर करके 1.89 करोड़ रुपये का नुकसान पहुँचाया और ग्राहकों के पीपीएफ और सावधि जमा जैसे अन्य खातों में हेरफेर करके 8.48 करोड़ रुपये की सरकारी धनराशि की धोखाधड़ी से निकासी की। ये धनराशि नकद में और स्वयं और उसके सहयोगियों द्वारा बनाए गए कई बैंक खातों के माध्यम से निकाली गई, जिन्हें वह स्वयं नियंत्रित करता था। आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से, अभियुक्तों ने अपराध से भारी आगम (पीओसी) उत्पन्न की और उसी का उपयोग एक शानदार जीवन शैली बनाए रखने, जुए में खर्च करने, व्यक्तिगत खर्च और अचल संपत्ति खरीदने में किया। इसके अलावा, संजीव कुमार ने सजनी बाला और केवल कृष्ण के नाम से कई खाते खोले और उत्पन्न पीओसी को वैध बनाने के लिए इन खातों का उपयोग और नियंत्रण किया।

पूर्व में, 42 लाख रुपये की चल और अचल संपत्तियां, जिनमें बैंक बैलेंस और सजनी बाला और केवल कृष्ण के नाम पर संपत्तियां शामिल हैं, को 21.03.2025 की अनंतिम कुर्की आदेश के तहत मामले में कुर्क किया गया था, जिसकी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की गई थी।

आगे की जांच जारी है।